न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –15 / 2019 (अपील)

1. किशन कुमार आत्मज श्री मेघराज जाति धाकड़ निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. ओम प्रकाश
2. गिरीराज पिसरान श्री मेघराज धाकड़
3. भगवती पुत्री मेघराज जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा इंतकाल संख्या 780 दिनांक 11.05.2017 ग्राम खेड़ा तह0 लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दयानन्द राठौर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 16.10.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2017 को मृतक खातेदार जशोदाबाई पुत्री फून्दीलाल का फौती इन्तकाल संख्या 780 ग्राम खेड़ा तहसील लाडपुरा में जशोदा बाई के वारिसान में रिपोर्ट पटवारी एवं जांच आई.एल.आर. एवं सजरा अनुसार इंतकार स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 25.01.2019 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही मृतक माता जशोदा बाई पुत्री फून्दीलाल का फौती इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम कन्हैयालाल दर्ज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलान्ट को इन्तकाल में त्रुटिपूर्ण नाम की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारारेस्पोडेन्ट क्रम 4 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कन्हैयालाल के स्थान पर अपीलान्ट का नाम किशन कुमार होने से दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया किन्तु तहसीलदार साहब द्वारा अपने आदेश सपठित

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

इन्तकाल में दुरूस्ती करने से इन्कार कर देने एवं अपील करने की सलाह देने से अपीलान्ट के लिये यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हे । मृतक जशोदा पुत्री फून्दीलाल के कन्हैयालाल नाम का कोई पुत्र नहीं है । अपीलान्ट का नाम गलती से कन्हैयालाल दर्ज कर दिया । अपीलान्ट के सभी दस्तावेज किशन कुमार के नाम से है । नाम दुरूस्त नहीं करने पर भविष्य में भारी कठिनाई होने से नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश सपठित इन्तकाल में कन्हैयालाल के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने किये जाने का आदेश प्रदार करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि मृतक माता जशोदा बाई पुत्री फून्दीलाल का फौती इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम कन्हैयालाल दर्ज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलान्ट को इन्तकाल में त्रुटिपूर्ण नाम की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारारेस्पोडेन्ट कम 4 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कन्हैयालाल के स्थान पर अपीलान्ट का नाग किशन कुमार होने से दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया किन्तु तहसीलदार साहब द्वारा अपने आदेश सपठित इन्तकाल में दुरूस्ती करने से इन्कार कर देने एवं अपील करने की सलाह देने से अपीलान्ट के लिये यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हे । मृतक जशोदा पुत्री फून्दीलाल के कन्हैयालाल नाम का कोई पुत्र नहीं है । अपीलान्ट का नाम गलती से कन्हैयालाल दर्ज कर दिया । अपीलान्ट के सभी दस्तावेज किशन कुमार के नाम से है । अपीलान्ट द्वारा फर्द के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका पेश की जिसमें अपीलान्ट का नाम किशन कुमार मालव पुत्र मेघराज मालव अंकित है ।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं बताई ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2019 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई न्यायिक दृष्टान्त या उद्वरण पेश नहीं किया है, जिससे अपील मियाद बाहर मानी जाए । अतः अपील पेश करने में हुआ विलम्ब, जानकारी के अभाव में हुआ है, अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रथम जानकारी 15.10.2018 से अपील पेश करने की दिनांक 25.01.2019 तक का समय क्षम्य योग्य होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कन्डोन करते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

7. अपीलांट द्वारा अपील में ग्राम खेड़ा तहसील लाडपुरा में मृतक खातेदार जशोदा बाई पुत्री फून्दीलाल के फौती इन्तकाल सं0 780 दिनांक 11.05.2017 में अपीलान्ट का नाम किशन कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल करने पर चुनोती दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 780 में मृतक जशोदा बाई के वारिसों में ओमप्रकाश, कन्हेयालाल, गिरीराज एवं पुत्रि भगवती अंकित किया है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अंकतालिका अनुसार अपीलान्ट का नाम किशन कुमार पुत्र मेघराज अंकित है । तथा अपील के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 780 दिनांक 11.05.2017 ग्राम खेडा में मृतक खातेदार जशोदाबाई के वारिसों में अपीलान्ट के नाम की शुद्वि करने तक तथा अन्य खातेदारों व अपीलान्ट के हिस्सों को प्रभावित किये बिना खारिज किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक जशोदाबाई के वारिसों में नामा0 में दर्ज नाम श्री कन्हैयालाल के सम्बन्ध में समुचित जांच कर नवीन निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner